140
12:30 pm

संख्या– ✓ /XVIII-(2)/17-04(33)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
यमुना कालोनी, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 **देहरादूनः दिनांक 13 जुलाई,2017**

विषयः– **प्राकृतिक आपदा एस.पी.ए./ए.सी.ए.(आपदा 2013) के अन्तर्गत सिंचाई विभाग हेतु अनुमोदित कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2017–18 में धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी.डी.एम.ए. रूद्रप्रयाग के पत्र संख्या–565/डी.डी.एम.ए./2015–16, दिनांक 11 जनवरी, 2017 एवं प्रमुख अभियन्ता (बजट अनुभाग), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पत्रांक–1462/प्र.अ./बी–1 (सामान्य), दिनांक 02 मई, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने करने का कष्ट करें, जिसमें विशेष आयोजनागत सहायता वर्ष 2016–17 के अंतर्गत डी.डी.एम.ए. रूद्रप्रयाग के अंतर्गत सम्पन्न कराये जाने वाले बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु गठित हाई पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 23.03.2017 में लिये गये निर्णयानुसार 01 बाढ़ सुरक्षा कार्य सीतापुर से मंदाकिनी नदी के बांये तट पर डाइवर्जन चैनल का निर्माण आदि कार्य, जिसकी लागत ₹ 153.73 लाख है, में कार्यदायी संस्था डी.एम.एम.ए. बाढ़ सुरक्षा इकाई द्वारा कार्य किये जाने के दृष्टिगत अवशेष 12 परियोजनाओं, जिनकी कुल डी.पी.आर. लागत ₹ 5822.68 लाख है, सिंचाई विभाग के माध्यम से विभागीय पद्धति में सम्पादित कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विशेष योजनागत सहायता(पुर्ननिर्माण) के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान में ₹ 225.00 करोड़ की बजट व्यवस्था की गयी है, जिसमें से अब तक ₹ 1921.82 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। अब इस मद में ₹ 20578.18 लाख की धनराशि अवशेष है, के सापेक्ष रू0 5822.68 लाख (₹ अठावन करोड़ बाइस लाख अड़सठ हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरण कर व्यय किये जाने हेतु संलग्न सूची के अनुसार आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1– वर्णित योजनाओं हेतु भारत सरकार द्वारा सी.एस.एस./केन्द्र पोषित सड़क एवं सेतुओं के पुनर्निर्माण से सम्बन्धित योजनाओं के सम्बन्ध में निर्गत दिशा–निर्देश, मानकों एवं नियमों का पालन किया जायेगा तथा तत्काल सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं पर किया जायेगा, जो हाई पावर कमेटी द्वारा स्वीकृत हैं तथा जिन पर धनराशि व्यय किये जाने की समस्त प्रकार की औपचारिकताऐं पूर्ण की जा चुकी हैं और जो योजनायें मानकों के अनुरूप हों। किसी भी ऐसी योजना पर धनराशि व्यय नहीं की जायेगी जो हाई पावर कमेटी द्वारा स्वीकृत नहीं है तथा ऐसी योजनाओं के सापेक्ष किसी भी धनराशि का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।

3– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिये यह स्वीकृति की जा रही है तथा जिन योजनाओं की नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त है।

धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित जिलाधिकारी/विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जायेगा।

5– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

6– यह धनराशि आपदा 2013 से हुई क्षतियों के पुनर्निर्माण के लिये है। अतः किसी भी दशा में जून, 2013 से पूर्व के कार्यो के लिये इस धनराशि का उपयोग नहीं किया जायेगा। इसके लिये सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग उत्तरदायी होंगे।

7– जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

8– सम्बन्धित विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग/आहरण एवं वितरण अधिकारी को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी.एम.–10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार, उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

9– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग, विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग/जिलाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आंगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन एवं राज्य योजना आयोग को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

12– विभागाध्यक्ष सिंचाई विभाग द्वारा सक्षम अधिकारी के माध्यम से प्रश्नगत चालू कार्यों का मासिक रूप से भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

13– धनराशि का आहरण सी.सी.एल. हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

14– आंगणन में स्वीकृत डिजाइन/मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

15– यदि उक्त कार्यो में से किसी कार्य हेतु सिंचाई विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी। स्वीकृत की जा रही योजनायें किसी अन्य मद से पूर्व में स्वीकृत न की गई हो, इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की दोहराव (Duplicacy) की स्थिति के लिये विभाग के विभागाध्यक्ष पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।

16– उक्त योजनाओं के कियान्वयन तथा लेखांकन व लेखा परीक्षण का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष का होगा।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–06 के लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–800–अन्य व्यय–0108–एस.पी.ए./ए.सी.ए. (आपदा 2013) के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुदान–24–वृहद् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–610/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 30 जून, 2017 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या–15/ (1)/XVIII-(2)/17-4(33)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल।
4– निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– अपर सचिव, वित्त एवं व्यय अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त योजनाओं के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी पर्यवेक्षण कर शासन को नियमित आख्या प्रेषित करने का कष्ट करें।
7– मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9– राज्य सूचना अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– वित्त अनुभाग–1/5, उत्तराखण्ड शासन।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

12.07.17

(विनोद कुमार सुमन)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या– /XVIII-(2)/2017-4(33)/2016 TC, दिनांक जुलाई, 2017

का संलग्नक

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत धनराशि (₹ लाख में)
1	Proposed Flood Protectin Works for Sitapur Parking Area at Riht bank Mandakini River District Rudraprayag uttarakhand	1247.80
2	Proposed Flood Protectin Works on Right bank of pati Gad and Mandakini River in the Down stream of sitapur Town District Rudraprayag uttarakhand	684.91
3	Proposed Flood Protectin Works on left bank of pati in sitapur district Rudraprayag Uttarakhand	138.31
4	Devlopment of Ghat & Beautification work in sitapur parking ground along mandakini River District Rudraprayag uttarakhand	299.55
5	F.P.W. on the Right Bank of Mandakni River at Gaurikund (Reach 0.00 to150.0M)	510.47
6	F.P.W. on the Right Bank of Mandakni River at Gaurikund (Reach 1500.00 to300.0.0M)	643.92
7	Rejuvenation of Tapt Kund at Gaurikund	9.83
8	FPW on the Right Bank of Mandakini River at D/s of Confluence at Sonprayag (Reach 0.00 to 200.0M)	277.31
9	FPW on the Right Bank of Mandakini River at D/s of Confluence at Sonprayag (Reach 200.00 to 465.0 M)	1040.99
10	FPW on the Right Bank of Mandakini River at Sonprayag D/s of Hard Rock (Reach 0.00 to 200.0 M)	754.04
11	Proposed Ghat at Right Bank of Mandakini River at Sonprayag	182.58
12	Clearance of River Current By Removing Big Bolders/Elephant size boulders, removal of Notch on Left Bank	32.96
	Total	5822.68

(₹ अठावन करोड़ बाइस लाख अड़सठ हजार मात्र)

(अमित सिंह नेगी)
सचिव